


कमिश्नर
श्रीमन्त वंश्याग, रीदा १५५

राजल काल

न्यायालय श्रीमान ~~राजल काल~~ जिला- ~~सीधी~~ मध्य प्रदेश

कमिश्नर



राजेन्द्र प्रसाद पिता ललबा काठी ग्राम धौरहरा थाना व तहसील रामपुर नैकिन
जिला सीधी म०प्र०

निगरानीकर्ता
आवेदक

बनाम

- 1- रामजियावन पिता पुट्टिका काठी
 - 2- प्रेमवती सुत्री ललबा काठी
 - 3- सुस मोहनी देवी देवापत्नी ललबाकाठी
- सभी निवासी ग्राम धौरहरा थाना व तहसील रामपुर नैकिन जिला सीधी म०प्र०
- गैर निगरानीकर्ता
अनावेदक गण

क
4-512
R-1345-I/12

एव एल व निराला

29/1/12

निगरानी विरुद्ध आदेश तहसीलदार महोदय तहसील रामपुर नैकिन के राजस्व, पकरण क्रमांक- 50/A/27-208-209 आदेश दिनांक 9/2/2012 से व्यथित होकर

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959

रीवा, दि० 29/1/2012

मान्यवर,

मुझ निगरानी कर्ता/आवेदक की ओर से निम्न आधारों पर निगरानी प्रस्तुत है :-

निगरानी का संक्षिप्त विवरण :- यह कि ग्राम धौरहरा की आराजी नम्बर- 228, 229, 230, फिता-3 के बटनवारा हेतु आवेदन पत्र रामजियावन काठी द्वारा तहसील न्यायालय रामपुर नैकिन में 178/110 के तहत आवेदन पत्र पेश किया गया जिसमें आवेदक रामजियावन का बटनवारा नामान्तरण का आवेदन पत्र निरस्त कर दिया गया जिसकी अपील रामजियावन द्वारा उपखण्ड अधिकारी महोदय के यहाँ की गई जिसमें प्रकरण प्रत्यावर्तित विधिवत साक्ष्य सुनवाई करने व स्थल निरीक्षण करके आदेश पारित करने को निर्देशित किया गया जिसमें मुझ निगरानी कर्ता / आवेदक को सम्मन सूचना न्यायालय द्वारा दी गई और मुझ निगरानी कर्ता द्वारा जवाब साक्ष्य लौकिक साक्ष्य पेश किए गए तथा न्यायालय द्वारा तर्क भी श्रवण किया गया जिसमें यह तथ्य उठाया गया कि जब रामजियावन अनावेदक क्रमांक 1 उक्त आवेदित आराजियातो का सह भूमि स्वामी वर्तमान अभिलेख में नहीं है जिससे वह बटनवारा करवाने की अधिकारिता नहीं रखता लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा


M

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1345-एक/12

जिला -सीधी

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
2.3.2016	<p>आवेदक के अधिवक्ता कई पेशियों से उपस्थित नहीं हो रहे हैं उनको समय समय पर आवाज लगवाई गई उसके बाद भी कोई उपस्थित नहीं। अतः आवेदक के अनुपस्थित नहीं होने के कारण तथा प्रकरण में रूचि नहीं होने के कारण प्रकरण समाप्त किया जाता है ।</p> <p> सदस्य</p>	

